न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2021 बउनवानी श्रीमति राजरानी यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ.राजस्व
पत्नि डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव, नि0–34,अल्कापुरी–ए, /पंजीयन/डीएम कोर्ट/भू.अभि./न्याय/चुनाव अनुभाग

GCMS No-2021/00001

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
02.02.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/पंजीयन/डीएम कोर्ट/भू.अभि./न्याय/चुनाव अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(220)आरटीआई/2020/3057–64 दिनांक 29.10.2020 से तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/पंजीयन/डीएम कोर्ट/भू.अभि./न्याय/चुनाव अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक प.17(110)न्याय/80सीपीसी/2020/2382 दिनांक 24.3.2020 की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक की प्रमाणित प्रति तथा जिला कलेक्टर कार्यालय की न्याय शाखा में तहसीलदार खण्डार का प्राप्त पत्र पावती संख्या 4848 दिनांक 28.5.20 की प्रमाणित प्रति मय तहसीलदार खण्डार का पत्रांक भू.अ./2020/339 दिनांक 21.5.2020 तथा उक्त पत्र दिनांक 21.5.2020 न्याय शाखा मे प्राप्ति 4848 दिनांक 28.5.2020 पर लिये गये निर्णय के उपरान्त तहसीलदार खण्डार को उक्त 80 सीपीसी के पत्र के संबंध में जारी पत्र मय संलग्नक की प्रमाणित प्रति रिकार्ड संलग्न की प्रमाणित प्रति मय तहसीलदार खण्डार को प्रेषित की प्रति।
2. यह है कि ख.न. 544/1 (583/544) रकबा 16.01 बीघा ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2020 एवं मा. राज.उच्च न्यायालय जयपुर के एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 7278/17 मे पारित निर्णय दिनांक 18.7.17 की पालना बाबत श्रीमति राजरानी यादव द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020 की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक एवं उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर एवं अति0जिला कलेक्टर को प्रेषित शुद्वा पर लिये गये निर्णय/आर्डर सीट एवं जारी पत्रो की प्रमाणित प्रति।
3. यह है कि दिनांक 8.1.2020 को ग्राम पंचायत दौलतपुरा मे एवं दिनांक 18.1.2020 को सम्पन्न चुनाव मे नियुक्त पी.ओ. चुनाव अधिकारी का नाम मय आदेश की प्रमाणित प्रति तथा इसी प्रकार दिनांक 17.1.2015 एवं 18.1.2015 को नियुक्त पी.ओ. का नाम मय चुनाव अधिकारी ग्राम पंचायत दौलतपुरा के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा क्रमशः रामचरण गुर्जर 8.1.20 एवं संतोष कवंर 18.1.2015 को जारी सरपंच पद के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. यह है कि मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.2020 जो मा0 जिला पंजीयक(कलेक्टर) स0मा0 को उनके पत्रांक पंजीयन/विविध/2019/1189 दिनांक 29.5.20 के क्रम में प्रेषित शुद्वा पत्र तहसीलदार खण्डार को भी दिनांक 19.6.2020 को प्रेषित शुद्वा पर की गयी कार्यवाही/नोटसीट/निर्णय मय तहसीलदार खण्डार को जारी पत्र एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही/निर्णय/आर्डरसीट की प्रमाणित प्रति मय दिनांक 9.7.2008 एवं 18.10.2007 को सेरा उर्फ शेर सिंह के द्वारा कंचन के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र मय चैक लिस्ट मय श्री राजेश सैनी अधिवक्ता का लीगल नोटिस 8.6.2013 मय मा0 न्यायालय एसीजेएम स0मा0 21.5.2014 के पत्रांक की प्रमाणित प्रति मय 22.5.2014 को उक्त आदेश की पालना में मन राजरानी यादव [illegible] की प्रमाणित प्रति मय ना0स0 1367 ग्राम दौलतपुरा की प्रमाणित प्रति मय [illegible] तहसीलदार खण्डार बाबत नामा0 की प्र0प्रति।
5. यह है कि जिला कलेक्टर [illegible] प.12()विविध/परि/राजस्व/07/2097 दिनांक 25.3.2007 मय [illegible] श्रीमति राजरानी यादव तथा परिवाद के संबंध में उक्त पत्रांक 25.3.2008 जारी करने से पूर्व लिये गये निर्णय/आर्डर सीट की प्रमाणित प्रति इसी क्रम में प्रेम सिंह चारण उपजिला कलेक्टर के विरूद्व प्रस्तुत शिकायत दिनांक 10.8.2020 पर की गयी कार्यवाही व निर्णय की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/पंजीयन/डीएम कोर्ट/भू.अभि./न्याय/चुनाव अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/पंजीयन/ डीएम कोर्ट/भू.अभि./न्याय/चुनाव अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/सूकाअ/2021/230 दिनांक 29.1.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020 के बिन्दु संख्या 4 मे चाही नामा0 1367 की प्रति आवेदिका को रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है किन्तु इसी बिन्दु की पंजीयन रिकार्ड से संबंधित चाही गयी सूचना के लिए 690/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत जरिये पत्रांक 467 दिनांक 20.11.2020 से लिखा गया था किन्तु आवेदिका द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा बिन्दु संख्या 5 में अंकित सूचना से संबंधित पत्रावली अनुभाग मे उपलब्ध नही होने के कारण जरिये पत्रांक राजस्व/सूकाअ/20/5747 दिनांक 23.11.2020 से अपीलान्ट को उक्त पत्र दिनांक 25.3.2007 की विषय वस्तु/विवरण या पत्र की प्रति उपलब्ध हो तो कार्यालय को भिजवाने बाबत लिखा गया था किन्तु उक्त संबंध मे अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब नही दिया जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 पर चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू.अ. अनुभाग के पत्रांक प.14/7/22/तरमीम/भू.अ./रिकार्ड/2020/23 दिनांक 5.1.2021 द्वारा कुल 7 पृष्ठों की सूचना भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक आरटीआई/न्याय/2020/927 दिनांक 2.2.2021 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए 28/–रू शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 11569 दिनांक 8.11.2020 लिखा गया था, प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं डीएम कोर्ट द्वारा भी जरिये पत्रांक कोर्ट/रीडर/2020/2983 दिनांक 13.11.2020 से अपीलान्ट को 82/–रू शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है,किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,4 की सूचना के लिए क्रमशः प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा 28/–रू, प्रभारी अधिकारी पंजीयन/कोर्ट अनुभाग द्वारा 82/–रू तथा तहसीलदार खण्डार 690/–रू शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। अतः अपीलान्ट द्वारा अभी तक उक्तानुसार वांछित शुल्क जमा नही करवाया गया है तो अब उक्तानुसार शुल्क जमा करवाकर उक्त बिन्दुओ की वांछित सूचना तहसीलदार खण्डार व जिला कार्यालय के प्रतिलिपि अनुभाग से प्राप्त करे। बिन्दु संख्या 5 पर चाही गयी सूचना से संबंधित पत्रावली राजस्व अनुभाग मे संघारित नही है इसलिए उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है। प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा सूचना भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। [illegible] के साथ अपील अपलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर